राजस्थान विधान सभा

तृतीय सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) अधिसूचनायें

1- श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) वित्त विभाग

1. अधिसूचना संख्या: एफ.24(1)वित्त/कर/2014-91 दिनांक 31.7.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 की धारा-7(2) के अन्तर्गत कतिपय फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-92 दिनांक 1.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(69)वित्त/कर/2014-93 दिनांक 1.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत ब्याज की दर निर्धारित की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.2(25)वित्त/कर/2014-94 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा रतनगढ़ में रेलवे ब्रोड गेज लाईन हेतु अवाप्त की गई भूमि के बदले रीको द्वारा आवंटित की गई भूमि के संबंध में संबंधित व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.2(25)वित्त/कर/2014-95 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा रतनगढ़ में रेलवे ब्रोड गेज लाईन हेतु अवाप्त की गई भूमि के बदले रीको द्वारा आवंटित की गई भूमि के संबंध में संबंधित व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.2(25)वित्त/कर/2014-96 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा रतनगढ़ में रेलवे ब्रोड गेज लाईन हेतु अवाप्त की गई भूमि के बदले रीको द्वारा आवंटित की गई भूमि के संबंध में संबंधित व्यक्ति/फर्म के पक्ष में निष्पादित दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.1(15)वित्त/कर/2014-97 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

जारी..2..

8. अधिसूचना संख्या: एफ.1(15)वित्त/कर/2014-98 दिनांक 4.8.2014 जिसके द्वारा अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक और उप महानिरीक्षण, पंजीयन एवं मुद्रांक को नियुक्त किया गया है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.2(36)वित्त/कर/2014-99 दिनांक 14.8.2014 जिसके द्वारा डीडवाना विकास परिषद समिति के पक्ष में निष्पादित लीज डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(31)वित्त/कर/2013-100 दिनांक 19.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(31)वित्त/कर/2013-101 दिनांक 19.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.12(59)वित्त/कर/2014-102 दिनांक 30.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(89)वित्त/कर/2007-26 दिनांक 29.6.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.24(5)वित्त/कर/2014-103 दिनांक 5.9.2014 जिसके द्वारा फिल्म 'मेरीकोम' को दिनांक 5.9.2014 से 4.9.2015 तक के लिये मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है; एवं
14. अधिसूचना संख्या: एफ.2(42)वित्त/कर/2009-104 दिनांक 9.9.2014 जिसके द्वारा जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थाओं के साथ निष्पादित लोन एग्रीमेंट के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है ।

<u>(II) आबकारी विभाग</u>

1- अधिसूचना संख्या: प.4(44)वित्त/आब/2005 पार्ट-II दिनांक 7.8.2014 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम-69-ख के अन्तर्गत राज्य के भीतर परिशोधित स्पिरिट या एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल के परिवहन के लिये संदेय परमिट फीस के संदाय से, इसके द्वारा छूट प्रदान की गई है;

2- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2004 पार्ट-II दिनांक 21.8.2014 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(87)ई.एण्ड टी./59जे दिनांक 30.11.1961 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

3- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2011 दिनांक 2.9.2014 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब लाइसेंसेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया है।

<u>(ब) वार्षिक प्रतिवेदन</u>

श्री गुलाब चन्द कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड़, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 एवं 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे।

जारी..3..

2. विधायी कार्य

(अ) विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियॉ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियॉ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-24)

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियॉ और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(ब) प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014
(2014 का विधेयक संख्या-22)

श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय :-

"भू-स्वामियों और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को कम से कम बाधा पहुँचाते हुए, लोक प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन के लिये उपबंध करने और उसकी प्रक्रिया शीघ्र निपटाने के लिये और उन व्यक्तियों को जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है, न्यायोचित और बेहतर प्रतिकर प्रदान करने के लिये और उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये मौद्रिक रूप से क्षतिपूर्ति करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

जारी..4..

(स) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-21)	"राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(II) दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्या-23)	"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 17 सितम्बर, 2014